नम्बर व ...
अहकाम जो
की तामील में ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 418/2019

निर्णय दिनांक :– 12.08.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. बद्री लाल पुत्र कजोड़िया उर्फ कजोड़ जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. हरिराम पुत्र रोडू उर्फ रोड़िया जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. शंकरलाल पुत्र नारायण जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. हीरालाल पुत्र कजोड़िया उर्फ कजोड़ जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. मोतीलाल पुत्र कजोड़िया उर्फ कजोड़ जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. छोटूलाल पुत्र कजोड़िया उर्फ कजोड़ जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. राजेन्द्र पुत्र कजोड़िया उर्फ कजोड़ जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. गोपाल पुत्र कजोड़िया उर्फ कजोड़ जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. प्रेमबाई पुत्री कजोड़िया उर्फ कजोड़ जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. सीमा पुत्री कजोड़िया उर्फ कजोड़ जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. मयंक पुत्र दुर्गालाल जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. अनिल पुत्र दुर्गालाल जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. रिंकू पुत्री दुर्गालाल जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. चम्पू पुत्री दुर्गालाल जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
12. राजेश पुत्र नारायण जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
13. मीरा पुत्री नारायण जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
14. कैलाशी पुत्री नारायण जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
15. रोशन पुत्री नारायण जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
16. दाखां देवी पत्नी नारायण जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

परन्तु सेटलमेंट के बाद उक्त वर्णित आराजीयात मे सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे काना की जगह किसना अंकित हो गया जो पूर्ण रूप से गलत है। कजोड़िया उर्फ कजोड़, रोड़िया उर्फ रोडू व नारायण की मृत्यु हो चुकी है। मृतक कजोड़िया उर्फ कजोड के प्रार्थी संख्या 1 व प्रतिपक्षीगण 1 ता 11 व रोड़िया उर्फ रोडू के प्रार्थी संख्या 2 व नारायण के प्रतिपक्षीगण 12 ता 19 वारिस है, इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। प्रार्थीगण के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे गलत अंकन होने से प्रार्थीगण उक्त भूमि का नामांतकरण अपने नाम नही खुलवा पा रहे है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है तथा काफी परेशानी हो रही है। उक्त त्रुटि लिपिकीय भूलवश हुई है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के दादा का नाम दुरूस्त किया जाकर किसना की जगह काना उर्फ खाना अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामनिवास तुनगारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया परन्तु अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन नियत तारीख पेंशी में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पेरोकार सरकार दूनी द्वारा जवाब दावा बिन्दुवार निम्नलिखित हैः–

1. बिन्दु संख्या 01 में वादी मिलान क्षेत्रफल से सिद्ध करे, अस्वीकार है।
2. बिन्दु संख्या 02 अस्वीकार है। वादी स्वंय सिद्ध करे।
3. बिन्दु संख्या 03 वादी स्वंय सिद्ध करे।
4. बिन्दु संख्या 04 व 05 कानूनी है, न्यायालय से संबंधित है।

विशेषः– वादी मिलान क्षेंत्रफल, राजस्व रिकार्ड, साक्ष्यों से दावा सिद्ध करे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 व प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 के पिता व प्रतिपक्षीगण 8 ता 11 के दादा कजोड़िया उर्फ कजोड़ व प्रार्थी संख्या 2 के पिता रोड़िया उर्फ रोडू व प्रार्थी संख्या 3 व प्रतिपक्षीगण 12 ता 15 के पिता व प्रतिपक्षीगण 16 के पति व प्रतिपक्षीगण 17 ता 19 के नाना नारायण के पिता का नाम काना अंकित था परन्तु सेटलमेंट के बाद उक्त वर्णित आराजीयात मे सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे काना की जगह किसना एक जैसे नाम होने के कारण अंकित कर दिया जो त्रुटिवश हुआ है। प्रार्थीगण उक्त त्रुटिवश किसना नाम अंकित होने से वाद वर्णित भूमि का नामांतकरण अपने नाम नही खुलवा पा रहे है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है तथा काफी परेशानी हो रही है। उक्त त्रुटि लिपिकीय भूलवश हुई है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार दूनी को किसना के स्थान पर काना उर्फ खाना

दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड करने के आदेश प्रदान करे। पेरोकार सरकार ने भी इस बाबत कोई आपति पेश नहीं की है।

पेरोकार सरकार ने रिकॉर्ड अनुसार निर्णय करने की प्रार्थना न्यायालय से की ।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2033 वाके ग्राम मुगलानी में कजोड़िया, रोड़िया व नारायण के पिता का नाम काना दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में कजोड़िया, रोड़िया व नारायण के पिता का नाम किसना दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जो स्पष्ट रूप से लगभग समान नाम होने के कारण लिपीकीय त्रुटि हुई प्रतीत होती है। जिसको न्यायहित में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूनी को हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 5 वाके ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना तहसील दूनी में दर्ज किसना के स्थान पर काना दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

17. कमल पुत्र माता काली पुत्री नारायण जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
18. नीतू पुत्री माता काली पुत्री नारायण जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
19. प्रियंका पुत्री माता काली पुत्री नारायण जाति रेगर उम्र निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
20. तहसीलदार महोदय, दूनी टोंक राज0

--अप्रार्थीगण--

बनाम

तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा **पेरोकार सरकार**
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 व प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 के पिता व प्रतिपक्षीगण 8 ता 11 के दादा कजोड़िया उर्फ कजोड़ पुत्र खाना उर्फ काना रेगर व प्रार्थी संख्या 2 के पिता रोड़िया उर्फ रोडू पुत्र खाना उर्फ काना रेगर व प्रार्थी संख्या 3 व प्रतिपक्षीगण 17 ता 19 के नाना नारायण पुत्र खाना उर्फ काना रेगर निवासी ग्राम मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 12 बीसवा, खसरा नम्बर 317 रकबा 17 बीसवा, खसरा नम्बर 278 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 229 रकबा 1 बीघा 10 बीसवा, खसरा नम्बर 79 रकबा 15 बीसवा कुल किता–5, कुल रकबा 5 बीघा 14 बीसवा जिसके हाल खाता संख्या 5 खसरा नम्बर 12 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 408/469 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 496/483 रकबा 0.20 है0 कुल किता–6, कुल रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 व प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 के पिता व प्रतिपक्षीगण 8 ता 11 के दादा कजोड़िया उर्फ कजोड़ व प्रार्थी संख्या 2 के पिता रोड़िया उर्फ रोडू व प्रार्थी संख्या 3 व प्रतिपक्षीगण 12 ता 15 के पिता व प्रतिपक्षीगण 16 के पति व प्रतिपक्षीगण 17 ता 19 के नाना नारायण के पिता का नाम काना अंकित था